न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 260/2016 **दायरा दिनांक : 18.07.2016**

उनवान

शिवराज सिंह आत्मज अमर सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

बृजराज सिंह आत्मज श्री जालिम सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी राजपूत कालोनी, सकतपुरा थाना कुन्हाडी, अम्बिका स्कूल के पास जसवन्त भवन प्रिया टी वी सेन्टर, कोटा

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री पृथ्वीराज सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 09.11.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 116/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 183 और 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि जमाबंदी सम्वत 2069–72 के अनुसार ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 2378 रकबा 2.43 हेक्टर वादी के खाते में दर्ज चली आ रही है । आराजी वादी के पिता जालिम सिंह को आवंटित हुई थी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है । उनकी मृत्यु के बाद आराजी वादी के स्वामित्व और कब्जे काश्त में है । वादी कोटा में निवास करता है । गत वर्ष वादी ने एक वर्ष के लिए मुनाफा काश्त पर आराजी प्रतिवादी को जुपाई थी । प्रतिवादी ने न तो मुनाफा अदा किया और न ही कब्जा छोड़ रहा है । कब्जा छोड़ने की कहने पर लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये । प्रतिवादी का कृत्य अवैध है यदि वह अपने कृत्य में सफल हो गया तो वादी को अनेक विवादों में उलझना पड़ेगा । अतः प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादी के कब्जे काश्त में हसतक्षेप न करें और कब्जा न छोड़ने की सूरत पर 5000/– रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष की दर से नकद प्रतिभूति जमा करवायी जाये । यदि दौराने दावा उसने कब्जा कर लिया तो उसे बेदखल किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की और अपने निर्णय दिनांक 24.05.2016 से दावा डिक्री किया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आराजी को रेस्पोडेंट के पिता जालिम सिंह ने 20–22 वर्ष पूर्व बेचान कर अपीलांट को कब्जा संभला दिया था । अपीलांट का बहैसियत मालिकाना कब्जा वादग्रस्त आराजी पर है । दावा मियाद बाहर था । रेस्पोडेंट किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था । अपीलांट की समुचित तामील नहीं हुई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट का दावा अवधि बाधित था । अपीलांट की समुचित तामील नहीं हुई थी । 20–22 वर्ष से कब्जा वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का है । बेदखली का दावा मियाद बाहर था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट की विधि सम्मत रूप से तामील की गई थी । वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक रेस्पोडेंट हैं । अपीलांट को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा डिक्री किया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2010 (1) पेज 227 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वादी के द्वारा जो दावा पेश किया गया है वह धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया था जिसमें वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता मांगी और यह भी कथन किया कि दौराने दावा प्रतिवादी ने कब्जा कर लिया तो बेदखल किया जाये । कब्जा बनाये रखने की सूरत में विकल्प में 5000/– रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष की दर से नकद प्रतिभूति की मांग की है । अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली और स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश दिये हैं परन्तु अपने निर्णय में यह स्पष्ट नहीं किया है कि

दौराने दावा प्रतिवादी ने वादी की जमीन पर कब्जा कब कर लिया । वादी ने साक्ष्य में सिर्फ स्वयं के बयान कराये हैं । यद्यपि प्रतिवादी अपीलांट की तामील विधि सम्मत रूप से करवायी गयी है और उनके न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 24.02.2016 को एक तरफा कार्यवाही की गई है परन्तु दिनांक 24.05.2016 के फैसले में यह अंकित किया गया है कि उभयपक्ष की बहस सुनी गयी । प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से कोई वकालतनामा पेश नहीं किया गया है और न ही आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि वे स्वयं उपस्थित हुए हैं । अपीलांट का यह कथन है कि बेदखली की सहायता मियाद बाहर है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम न्यायहित में इस प्रकरण में अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.01.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा